

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



जबलपुर, दिनांक 12/11/2018

क्रमांक/अका./2018/3433

स्मरण-पत्र

प्रति,

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध,  
समस्त महाविद्यालयों के  
प्राचार्यगण,

विषय:- अध्ययन मण्डल के पुर्नगठन विषयक।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र कं./अका./2018/3433 दिनांक 23/10/2018 के द्वारा सूचित किया गया था। कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के निम्न प्रावधानों के अंतर्गत कम्प्यूटर साइंस अध्ययन मण्डल का पुर्नगठन किया जाना है, यथा:-

28(2)दो महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जावेंगे।

(चार) महाविद्यालयों में से महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (डिग्री) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जावेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने महाविद्यालय के उक्त संकायों के अंतर्गत सभी विषयों के स्नातकोत्तर/स्नातक स्तर के अध्यापन विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम एवं उनके पद की सूचना भेजें। जिनकी नियुक्ति कॉलेज कोड 28 के तहत हुई है। इस कार्यालय को को भिजवाने का कष्ट करें। ताकि अध्ययन मण्डल में आपके महाविद्यालय के अध्यापकों के नाम निर्देशन पर विचार किया जा सकें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

आदेशानुसार

प्रभारी कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक:- 12/11/2018

पृ० क्रमांक/अका./2018/3433 "3a"

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित :-

1 कुलपति जी के सचिव, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।

2 प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर। (वि०वि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)

अनुभाग अधिकारी(अका०)